न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 184 / 2022 निर्णय दिनांक :– 03.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. ओमप्रकाश पुत्र पोखर राम जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी धुंवाखुर्द तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार तहसील कार्यालय देवली जिला टोंक (राज.)

– अप्रार्थी –

उपस्थिति :–

श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राजत धारा 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है0, कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 443 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 447 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 586 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.42 है0, खसरा नम्बर 688 रकबा 1.81 है0, खसरा नम्बर 761 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 810 रकबा 1.37 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 5.98 है0, वाके तनग्राम धुवाखुर्द पटवार हल्का घाड तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही व त्रुटिपूर्वक प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर ओमीचंद व प्रार्थी की वल्दियत पोखर राम के स्थान पर पोखर दर्ज कर दिया है0, जो गलत है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश व प्रार्थी के पिता का नाम पोखर राम दर्ज है, जो सही एवं सत्य है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिये जाने के कारण प्रार्थी कई सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित हो रहा है, तथा प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने कई बार अपना तथा अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी को कई प्रार्थना पत्र पेश किये है, परन्तु आज तक उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त

नहीं हो पाया है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमीचंद के स्थान पर ओमप्रकाश व प्रार्थी के पिता पोखर के स्थान पर पोखरराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि व प्रार्थी का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। बाकी कानूनी पहलू व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य बरवक्त बहस निवेदन किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 443 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 581 रकबा 0. 18 है0, खसरा नम्बर 586 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.42 है0, खसरा नम्बर 688 रकबा 1.81 है0, खसरा नम्बर 761 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 810 रकबा 1. 37 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 5.98 है0, वाकेतनग्राम धुवाखुर्द पटवार हल्का घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमीचंद के स्थान पर ओमप्रकाश एवं प्रार्थी के पिता का नाम पोखर के स्थान पर पोखर राम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुरूप इनके उत्तरोत्तर उत्तराधिकारी/विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है0:— बिन्दू संख्या 1 आंशिक स्वीकार है। ग्राम धुंवाखुर्द की जमाबन्दी खाता संख्या 182 में किता 9 रकबा 5.98 है0 भूमि में ओमीचन्द पुत्र पोखर हि. 1/64 जाति बैरवा दर्ज है। बिन्दू संख्या 2 अस्वीकार है। वादी साक्ष्य व सबूतो के अनुसार स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 3 अस्वीकार है। वादी साक्ष्य व सबूतो के अनुसार स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 4 अस्वीकार है। वादी साक्ष्य व सबूतो के अनुसार स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 5, 6 ,7 कानूनी बिन्दू है, जो न्यायालय से सम्बन्धित है। नोटः—वादी साक्ष्य सबूतो के आधार पर स्वयं सिद्ध करे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस मीमो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 182 ओमीचन्द पुत्र पोखर राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख में अपना नाम ओमीचन्द के बजाय ओमप्रकाश व पोखर के स्थान पर पोखरराम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश के समर्थन में छायाप्रति आधार कार्ड संख्या 683790966392, पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन

कार्ड जिनमें प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश व प्रार्थी के पिता का नाम पोखर राम का अंकन है। उक्त दस्तावेज से प्रतीत होता है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये तद्भव नामो का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया जिनको दुरुस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है0। अतः वाके ग्राम धुवाखुर्द पटवार हल्का धाड़ तहसील दूनी की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 182 कुल किता 9 कुल रकबा 5.98 है0, में दर्ज ओमीचन्द पुत्र पोखर के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र पोखर राम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार दूनी को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली